भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2766
(18 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण सड़क अवसंरचना

2766. डॉ. जयंत कुमार राय:
श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान जलपाईगुड़ी जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत कितनी ग्रामीण सड़कें बनाई गई हैं;

(ख) क्या जलपाईगुड़ी में इस योजना के अंतर्गत सड़क परियोजनाएं लंबित हैं;

(ग) यदि हां, तो विलंब के कारण क्या हैं और इनके पूरा होने की अनुमानित समय-सीमा क्या है; और

(घ) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत ग्रामीण संपर्क और अवसंरचना में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के विभिन्न घटकों/कार्यकलापों के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में निर्मित सड़कों का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	पीएमजीएसवाई द्वारा निर्मित सड़कों की संख्या
2021-22	5
2022-23	0

2023-24	2
कुलः	**7**

(ख) और (ग) इस योजना की शुरुआत के बाद से आज तक 11 मार्च, 2025 तक जलपाईगुड़ी जिले में 1,158 किलोमीटर लंबाई की कुल 189 सड़कें और 4 पुल स्वीकृत किए गए हैं , जिनमें से पीएमजीएसवाई के विभिन्न कार्यकलापों /घटकों के तहत 1,053 किलोमीटर लंबाई की 176 सड़कें और 2 पुल पहले ही बनाए जा चुके हैं। पीएमजीएसवाई III के तहत 85 किलोमीटर लंबाई वाली केवल 13 सड़कें और 2 पुलों का निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में प्रगति पर है। पीएमजीएसवाई III के पूरा होने की समय-सीमा मार्च 2025 है।

(घ) सभी पीएमजीएसवाई स्वीकृत कार्यों के कार्यान्वयन , जिसमें उनका रखरखाव भी शामिल है , की निगरानी वास्तविक समय के आधार पर ऑनलाइन प्रबंधन , निगरानी और लेखा प्रणाली (ओएमएमएएस) नामक ऑनलाइन कार्यक्रम निगरानी सूचना प्रणाली के माध्यम से नियमित रूप से की जाती है। इसके अलावा, मंत्रालय द्वारा क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों (आरआरएम), कार्य निष्पादन समीक्षा समिति (पीआरसी) बैठकों, राज्यों के साथ पूर्व -अधिकार प्राप्त /अधिकार प्राप्त समिति की बैठकों में प्रगति की नियमित समीक्षा की जाती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव /अपर सचिव/संयुक्त सचिव द्वारा राज्यों के मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों के साथ रखरखाव पहलुओं सहित योजना की प्रगति का जायजा लेने के लिए विशेष समीक्षा बैठकें /मासिक समीक्षा बैठकें भी की जाती हैं।

भारत सरकार ने हाल ही में सितंबर 2024 में पीएमजीएसवाई के चरण IV को आरंभ किया है, ताकि 2011 की जनगणना के अनुसार मैदानी इलाकों में 500+, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 250+, विशेष श्रेणी के क्षेत्रों (आदिवासी अनुसूची V, आकांक्षी जिले /ब्लॉक, रेगिस्तानी क्षेत्र) और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित (एलडब्ल्यूई) प्रभावित जिलों में 100+ आबादी वाले 25,000 सड़क संपर्कविहीन बस्तियों को बारहमासी सड़क संपर्कता प्रदान की जा सके। पीएमजीएसवाई-IV के पूरा होने की समय-सीमा मार्च 2029 है। मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ गहनता से समन्वय कर रहा है तथा इस योजना के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान कर रहा है।

*****